न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 505/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
गेमराराम पुत्र स्व0 तगाराम जाति दर्जी निवासी मानाणियो की बस्ती (गंगाला) तहसील रामसर, जिला बाडमेर		1– आम्बाराम पुत्र स्व0 तगाराम जाति दर्जी निवासी मानणियों की बस्ती (गंगाला) तहसील रामसर, जिला बाडमेर 2– ग्राम पंचायत गंगांला द्वारा सरपंच तहसील रामसर जिला बाडमेर 3– वीरमाराम पुत्र पुरखाराम 4– रामाराम पुत्र पुरखाराम 5– बाबुराम पुत्र शिवजीराम 6– दलाराम पुत्र खरथाराम 7– पेमाराम पुत्र खरथाराम 8– दलाराम पुत्र अमराराम 9– खुमाराम पुत्र अमराराम सभी जातियान जाट निवासीगण मानणियों की बस्ती (गंगाला) तहसील रामसर जिला बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13–7–2015 जो उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर रामसर द्वारा नामांतरकरण अपील संख्या 2/2014 अनवान आम्बाराम बनाम ग्राम पंचायत गंगाला वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री एम.एल.खत्री अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री विवेक चारण अधिवक्ता रेस्पो0 1 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 30–10–2017

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गंगाला तहसील बाडमेर के खसरा नंबरान 286 व 287 की कुल 77 बीघा 07 बिस्वा भूमि सरूपाराम, शंकरलाल पि0 राणाराम 2/3, तगाराम पि0 भीखाराम 1/3 कौम दर्जी के सह खातेदारी की थी । सहखातेदार तगाराम पि0 भीखाराम के फौत होने पर फोतेदगी का नामांतरकरण संख्या 651 सरपंच ग्राम पंचायत गंगाला द्वारा स्वीकृत किया जिसमे सरूपाराम, शंकरलाल पि0

राणाराम 2/3,तथा स्व0 खातेदार तगाराम के हिस्से मे गेमराराम 2/3, अम्बाराम 1/3 पि0 तगाराम कौम दरजी के नाम स्वीकृत कर दिया । उक्त नामांतरकरण संख्या 651 के विरूद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर के समक्ष वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 ने पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–7–2015 के द्वारा अंदर मयाद सुमार करते हुए अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 651 को स्व0 तगाराम के 1/3 हिस्से की सीमा तक निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार रामसर को स्व0 खातेदार तगाराम पुत्र भीखाराम के 1/3 हिस्से को मृतक के दोनो पुत्रो वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 क्रमशः गेमराराम व आम्बाराम पि0 तगाराम के नाम क्रमशः 1/6– 1/6 हिस्से का नामांतरकरण खातेदारी रेकर्ड मे अंकित करने बाबत रिमाण्ड किया गया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन म्युटेशन के विरूद्ध लगभग 26–27 वर्ष विलंब से प्रस्तुत अपील मे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे किसी तरह का कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण का उल्लेख नही होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 651 को खारीज करने मे विधिक त्रुटि की है । वकील अपीलांट ने मयाद के बिन्दु पर यह भी कथन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयो ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों मे मयाद के संबंध मे यह अभिनिर्धारित किया है कि विलंब से प्रस्तुत होने वाली अपील या निगरानी पर सर्वप्रथम मयाद के प्रार्थना पत्र पर विवेचन कर निर्णित करना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण बिन्दुओ एवं विधि के सुस्पष्ट सिद्धान्तो को नजरअंदाज करते हुए पारित किया हुआ होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे अपीलांट एवं अन्य खातेदारो को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना नोटिस तामिल हुए ही अपीलाधीन निर्णय केम्प कोर्ट मे अपीलांट एवं अन्य विपक्षीगण की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए पारित कर दिया जबकि अपीलांट एवं अन्य पक्षकार यदि लोक अदालत केम्प मे उपस्थित ही नही थे यदि उपस्थित होते तो उनके हस्ताक्षर या अंगुठा निशान पत्रावली

पर उपलब्ध होते परंतु ऐसा कोई सबूत रेकर्ड पर नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विपरीत जाकर एवं नियमो को ताक मे रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से तथा अपीलांट को उसके अधिकारो से वंचित रखते हुए पारित किया गया होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया । अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–7–2015 को निरस्त करने तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 651 को बहाल रखे जाने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 के पिता तगाराम के देहांत होने पर उनके हिस्से की भूमि बाबत नामांतरकरण विरासत का नामांतरकरण संख्या 651 खोला गया जिसमे अपीलांट का 2/3 हिस्सा तथा रेस्पो0 संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया, जो विधिविरूद्ध था तथा उक्त नामांतरकरण की जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 को होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधि एवं न्यायसंगत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय तथा अपीलाधीन म्युटेशन आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 651 के अवलोकन से यह प्रकट है कि उक्त म्युटेशन मृतक खातेदार तगाराम पुत्र भीखाराम के फौत होने पर उसके दो पुत्रो के नाम भरकर स्वीकृत किया गया था जिसमे दोनो पुत्रो का समान अधिकार तथा बराबर का हिस्सा होते हुए वर्तमान अपीलांट गेमराराम का 2/3 हिस्सा तथा रेस्पो0 आम्बाराम का 1/3 हिस्सा मनमर्जी से दर्ज करते हुए स्वीकृत कर दिया गया, उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपील के साथ रेस्पो0 गण के प्रस्तुत सम्मन जारी ही नही हुए थे, सभी रेस्पो0 के सम्मन फर्द तलबाना से साथ बिना जारी किये ही नथी है । इसके अलावा पक्षकारान को लोक अदालत केम्प के नोटिस भी जारी होना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से जाहिर नही होता है । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो के नोटिस तामिल करवाये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश

मे रेस्पो0गण (वर्तमान अपीलांट) की उपस्थिति दर्शाते हुए निर्णय दिनांक 13–7–2015 को पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–7–2015 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे पक्षकारान (अपीलांट एवं रेस्पो0गण) को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 30–10–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर